संख्या-6/2015/65/35-1-2015-6/8(4)/2010

प्रेषक,

जे0बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मूल्यांकन प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 *लखनऊ: दिनांक: 12 मार्च, 2015*

विषय: मूल्यांकन प्रभाग के भवन के सुदृढ़ीकरण हेतु पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1836/3-155/मू0प्र0, दिनांक 12.01.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियेाजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण किये जाने का निर्णय वर्ष 2013 में लिया गया था। शासनादेश संख्या- 458/35-1-2013-6/8(4)/2010, दिनांक 04.07.2013 द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य की मूल लागत रू0 254.42 लाख पर परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु रू0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई, जिसकी निर्माण एजेन्सी यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ नामित है। जनवरी, 2015 में वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत पूर्व में स्वीकृत कार्यों में बदलाव करते हुए निदेशक के उक्त पत्र दिनांक 12.01.2015 द्वारा रू0 228.18 लाख की लागत का संशोधित आगणन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोरांत रू0 194.03 लाख की लागत आंकलित की गई है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत कार्य की संशोधित लागत रू0 1,94,03,000/- (रूपये एक करोड़ चौरानबे लाख तीन हजार) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस कार्य की अवशेष लागत रू0 94,03,000/- (रूपये चौरानबे

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लाख तीन हजार) मात्र की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) सुदृढ़ीकरण के कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों के अन्तर्गत डी0जी0 सेट, ए0सी0, एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर, आर0ओ0 सिस्टम विद वाटर कूलर आदि प्रस्तावित कार्य मदें, जो प्रोप्राइटरी श्रेणी की है, क्रियान्वयन से पूर्व कर्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना राज्य सरकार के वित्तीय नियमों एवं सुसंगत आदेशों के आधार पर किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि के व्यय का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में प्रश्नगत कार्य के लिए किसी भी स्रोत से धनराशि निर्गत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य वित्त योजना हेतु किसी भी विभाग की कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

(8) जहॉ आवश्यक हो, वहॉ शासन/सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(9) उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 40 के लेखाशीर्षक- ''4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-800-अन्य व्यय-08-मूल्यांकन प्रभाग के भवन का सुदृढ़ीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(जे0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सख्या-6/2015/65(1)/35-1-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।